न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 47 / 2018

श्री माधू पुत्र श्री गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम बेगलियावास, तहसील मसूदा, जिला अजमेर

..................*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा

....................रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक – 03.05.2018

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री माधू पुत्र श्री गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम बेगलियावास, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ने ग्राम बेगलियावास के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1556 / 381 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर सम्वत 2074 में अनाधिकृत रूप से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार मसूदा के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 967 / 2017 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 08.03.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ मौके पर खड़ी फसल को जब्त कर नीलामी के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 3 माह के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 08.03.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित भूमि पर से अपना अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण हटा लेने

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

का निवेदन कर दिया गया था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये तथा कानूनी प्रवधानों की अनदेखी कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वर्तमान में विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अतिक्रमियों द्वारा अपना कब्जा हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान R.R.T. 2009(2) पेज 858 व R.R.T. 2008(1) पेज 479 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र उन्होने वाद ग्रस्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया है इस तथ्य को अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। जहां तक अपीलान्ट का कथन है कि उन्होने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तो इस आशय का शपथ पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करें कि "उन्होने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। तहसीलदार स्वयं विवादित भूमि का मौका निरीक्षण करे कि यदि अपीलान्ट का कब्जा हो तो सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी अन्यथा स्थिति में केवल सजा माफ की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहां तक 3 माह के कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है, अपीलान्ट की ओर से इस अपील के साथ कब्जा नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्ट के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में से केवल सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार स्वयं अथवा हल्का पटवारी के मार्फत एक सप्ताह में यह सुनिश्चित कर लेवें कि वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट ने अपना कब्जा छोड दिया है तथा उन्होने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर अपीलान्ट कब्जा नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, इन सब तथ्यों बाबत तहसीलदार इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेखित करने के उपरांत सजा को इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

यदि अपीलान्ट द्वारा एक माह में उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है अथवा पुनः राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार इस निर्णय से स्थगित किए गये निर्णय को प्रभावी मानकर अपीलान्ट को नियमानुसार सजा भुगतवायेगा तथा अपीलान्ट की अपील पूर्ण रूप से खारिज मानी जायेगी एवं सजा यथावत रहेगी।

आदेश आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner